

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा
कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
कमाक : एफ 4 (29) आकाशि/अनु/2011/73

आदेश

दिनांक 12/1/2011

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निजी क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने लिए निम्नलिखित शर्तों के आधार पर आपकी संस्था को उसके नाम के सम्मुख अंकित आवंटित संकाय/विषय हेतु तीन सत्रों (2011-12, 2012-13, 2013-14) के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र ज किया जाता है-

क्र. सं.	पत्रा सं.	संचालक संस्था का नाम व पता	महाविद्यालय का नाम एवं पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	आवंटित विषय/ संकाय
1	29	सचिव, घटाला शिक्षा समिति, 364, घटालों की ढाणी, महलों तह0 दूदू जिला जयपुर	घटाला महाविद्यालय, ग्राम अजयराजपुरा तह0 सांगानेर जिला जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	कला संकाय में अनिवार्य विषयों अतिरिक्त- हिन्दी साहित्य, भूगोल, राजनीति विज्ञान, इतिहास, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, विज्ञान, चित्रकला वाणिज्य संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त- एबीएसटी, ईएफएम व्यवसायिक प्रशासन, कम्प्यूटर एप्लीकेशन बी.बी.ए., बी.सी.ए.

1. संस्था इन तीन सत्रों के पश्चात निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति कर सत्र 2014-15 में स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करेगी, अन्यथा अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।
2. छात्रों के प्रवेश से पूर्व प्रतिवर्ष महाविद्यालय को स्वीकृत विषयों हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
3. मान्यता प्रदान करने से पूर्व निर्धारित मापदण्डों के अनुसार शैक्षणिक सुविधाओं एवं यू.जी.सी. योग्यताधारी स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सम्बद्धक विश्वविद्यालय की होगी।
4. संकाय/ विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जायेगा।
5. संस्था स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के पश्चात ही नवीन विषयों व स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नयन के लिए पात्र होगी।
6. संस्था को तीन सत्रों की अवधि की समाप्ति तक मापदण्डानुसार भूमि क्रय कर उस पर महाविद्यालय भवन (विभाग द्वारा तय मानदण्डानुसार) का निर्माण पूर्ण करना होगा।
7. संस्था को यूजीसी योग्यताधारी प्राचार्य व व्याख्याता तथा अन्य अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति करके सम्बद्ध विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त करेगी।
8. संस्था/ महाविद्यालय को यूजीसी, राज्य सरकार तथा बार कौंसिल द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों/ दिशा-निर्देशों की शब्दशः पालना करनी होगी।
9. राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई अनुदान उक्त संस्था/ महाविद्यालय को देय नहीं होगा।

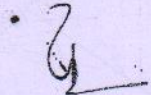
कार्यालय, निदेशक कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (29)आकाशि/अनु/2011/8030

दिनांक- 11/12/2011

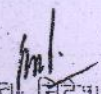
आदेश

घटाला शिक्षा समिति, महला जिला जयपुर द्वारा सत्र 2010-11 से संचालित घटाला महाविद्यालय, अजयराजपुरा-सांगानेर-जयपुर का स्थान परिवर्तन संस्था के निवेदन पर बगरू कलों-सांगानेर-जयपुर में किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, जयपुर।
6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा(ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. सचिव, घटाला शिक्षा समिति, महला जिला जयपुर।
9. सांख्यिकी शाखा, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. गार्ड फ़ाइल।


संयुक्त निदेशक(अनुदान)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर



आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ4 (407)आकाशि/नि.सं./11/907

दिनांक-31-7-14

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी रात्र 2014-15 हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में संशर्त अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है:-

महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	विषय/संकाय
घटाला महाविद्यालय, बगरु कला जिला-जयपुर।	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व संघालित विषय/संकाय

सत्र 2015-16 में निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से नियमानुसार स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति कर आवेदन करना होगा।

1. स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु मानदण्ड :-

अ. मानदण्डानुसार संस्था के नाग स्वयं की भूमि-भवन के पंजीकृत दस्तावेज।

ब. यूजीसी योग्यताधारी स्थायी शैक्षणिक स्टाफ पर संबंधित विश्वविद्यालय को प्रेषित पत्र प्राप्ति की प्रति।

ग. स्टाफ को बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान का प्रमाण पत्र।

द. समस्त स्टाफ की पी.एफ. कटौती।

य. समुचित छात्र सुविधाओं की व्यवस्था।

उक्त शर्तों की पूर्ति के बिना किया गया आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है।

- संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी.सी. आई. से मान्यता व विश्वविद्यालय से सम्बद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी।
- राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
- संस्था राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये सभी आदेशों/निर्देशों की पालना करेगी।
- संस्था द्वारा सूचना का अधिकार के अन्तर्गत आवेदक को आवश्यक रूप से सूचना उपलब्ध करानी होगी।
- संस्था नजदीकी राजकीय पी.जी. महाविद्यालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्राप्त कर पूर्ण रूप से सरकार निर्धारित समयावधि में अनिवार्यतः जमा करायेगी। भारत सरकार के AISHE सर्वे को भरने की भी जिम्मेदारी होगी।
- मापदण्डों की अधिक जानकारी हेतु विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in का अवलोकन करें।
- संस्था द्वारा एन.एस.एस./एन.सी.सी./रोवरिंग एवं रेजरिंग (स्काउट/गाइड) में से किसी भी एक सहशैक्षणिक गतिविधि में विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा। इसकी सूचना समन्वयक एन.एस.एस. कॉलेज शिक्षा को सम्बन्धित अधिकारी का नाम एवं मोबाईल नम्बर सहित दिसम्बर तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करवायेंगे।
- बिन्दु सं0 1 में अंकित मानदण्डों की पूर्ति कर 15 जून, 2016 तक आवश्यक रूप से दस्तावेज विभाग को प्रस्तुत करें।
- संस्था द्वारा अंकित मापदण्डों की पूर्ति निर्धारित समय पर नहीं करने की स्थिति में संस्था विभाग द्वारा निर्धारित एवं आरोपित शारित भरणे हेतु बाध्य रहेगी।
- राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2014-15 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
- वर्ष 2014-15 की एन.ओ.सो. विश्वविद्यालय तथा बीसीआई की मान्यता के अध्यक्षीन होगी।

अम्मुक्त,

कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, जयपुर।
5. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
7. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त-निदेशक (निरा0)

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 4 (398) आकाशि/नि.स./2011/

आदेश

651

दिनांक: 29-3-18

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को सत्र 2015-16 एक वर्ष के लिये अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

महाविद्यालय का नाम एवं पता	सम्बन्धित विश्वविद्यालय	विषय/ संकाय
घटाला महाविद्यालय बगरु कला, सांगानेर जिला जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	पूर्व संचालित विषय/संकाय

1. संस्था सत्र 2016-17 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करेगी।
2. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में वी0सी0आई0 से मारचला व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी।
3. संकाय/विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जायेगा।
4. संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति पर्यंत तीन सत्रों में मापदण्डानुसार स्वयं की भूमि पर महाविद्यालय भवन (विमान द्वारा तय मानदण्डानुसार) का निर्माण पूर्ण करना होगा।
5. संबंधित संस्था द्वारा भूमि रूपान्तरण अवकाश कराया जायेगा इसके अभाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त भी किया जा सकता है।
6. महाविद्यालय भवन का निर्माण संबंधित संस्था स्थानीय निकाय/नगर नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार किया जायेगा।
7. संस्था द्वारा यूजीसी योग्यताधारी प्राचार्य व व्याख्याता तथा अन्य अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति की जानी होगी।
8. संबंधित विश्वविद्यालय से स्टाफ के अनुमोदन का दाखिल संस्था का रहेगा।
9. आवरणानुसार अस्थाई आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अनिलेख उपलब्ध करायेगा।
10. संस्था द्वारा स्थायी जमा के रूप में जमा करायी गई सुरक्षा राशि का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
11. संस्था सांख्यिकी पुरिफा एवं विवरणिका प्रतिवर्ष पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयवधि में आयुक्तालय में जमा करायेगी।
12. मापदण्डों की पूर्ण जानकारी इस विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
13. संस्था द्वारा एन0एस0एस/एन0सी0सी/शेडरिंग एवं रेजरिंग (स्काउट/गाईड) में से किसी भी एक सहशैक्षणिक गतिविधि में विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा। इसकी सूचना सप्तम्यक एन0एस0एस0, कॉलेज शिक्षा को संबंधित अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नम्बर सहित दिसम्बर तक करावायेगी।
14. राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2015-16 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
15. संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देनी।
16. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें। इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपोर्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी।

उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राजा0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निष्ठा कॉलेक्टर, जयपुर।
4. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

निर 30/3/18
संयुक्त-निदेशक (नोर्स)

(17)

राजस्थान सरकार
कॉलेज-शिक्षा

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ 4 (398)/आकाशि/नि.सं /2011/595

दिनांक :- 8/6/16

आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर राजस्थान "घटाला महाविद्यालय, बगरू, तहड़ सांगानेर जिला जयपुर" को नाम परिवर्तन की अनुमति दी जाती है। इस महाविद्यालय का परिवर्तित नाम "विनायक कॉलेज, बगरू, तहड़ सांगानेर जिला जयपुर" होगा।

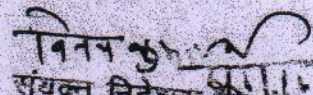

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा, जयपुर
दिनांक :-

क्रमांक:- एफ 4 (398)/आकाशि/नि.सं /2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, जयपुर।
4. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक, (नि.सं.)
कॉलेज शिक्षा, जयपुर


PRINCIPAL
Vinayak College
Bagru (Jaipur) Raj.

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

कमांक-एफ 4 (387) आकाशि/नि.सं./2011/ 8/8

दिनांक- 8/12/16

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2016-17 (एक वर्ष) हेतु स्नातक स्तर पर पूर्व संचालित संकाय/विषयों में अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है -

महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	पूर्व आवंटित संकाय/विषय में अभिवृद्धि
विनायक कॉलेज, बगरु, तह0 सांगानेर, जयपुर।	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	अनिवार्य विषयों सहित स्नातक स्तर पर कला संकाय- हिन्दी सा0, अंग्रेजी सा0, भूगोल, राजनीति विज्ञान, लोकप्रशासन, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, संस्कृत सा0, इतिहास। वाणिज्य संकाय- एबीएसटी, ईएफएम, व्या0 प्रशासन।

1. संस्था सत्र 2017-18 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार आवेदन करेगी।
2. संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी।
3. संकाय/विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा एवं तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार तय सीमा में ही प्रवेश दिया जायेगा।
4. संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति पश्चात तीन सत्रों में मापदण्डानुसार स्तरों की भूमि पर महाविद्यालय भवन(विभाग द्वारा तय मानदण्डानुसार) का निर्माण पूर्ण करना होगा।
5. संबंधित संस्था द्वारा भूमि रूपान्तरण अवश्य करवाया जायेगा इसके अभाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किया जायेगा।
6. महाविद्यालय भवन का निर्माण संबंधित सक्षम स्थानीय निकाय/नगर नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के अनुरूप किया जायेगा।
7. संस्था द्वारा यू.जी.सी. योग्यताधारी प्राचार्य व व्याख्याता तथा अन्य अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति की जानी होगी।
8. संबंधित विश्वविद्यालय से स्टॉफ के अनुमोदन का दायित्व संस्था का रहेगा।
9. आवश्यकता अनुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा।
10. संस्था द्वारा स्थायी जमा के रूप में जमा करायी गई सुरक्षा राशि को प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
11. संस्था सांख्यिकी पुस्तिका एवं विवरणिका प्रतिवर्ष पूरा रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में आयुक्तालय में जमा करायेगा।
12. मापदण्डों की पूर्ण जानकारी इस विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
13. संस्था द्वारा एन.एस.एस./एन.सी.सी./रोवरिंग एवं रेजरिंग (स्काउट/गाईड) में से किसी भी एक सहशैक्षणिक गतिविधि में विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा। इसकी सूचना समन्वयक एन.एस.एस., कॉलेज शिक्षा को सम्बन्धित अधिकारी का नाम एवं मोबाईल नम्बर सहित दिसम्बर तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करवायेगे।
14. राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2015-16 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
15. संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देगी।
16. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture formate) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी Hard Copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करे। इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपोर्टल Know your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी।

उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, जयपुर।
4. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली

(Signature)

आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (387) आकाशि/वि.स./2011/1421

दिनांक : 3/12/17

आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर अकादमी सत्र 2017-18 से निम्नलिखित महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर पूर्वसंचालित विषय/संकाय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदा किया जाता है:-

महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	संचालित संकाय/विषय
विनायक कॉलेज, बगरू, तह-सांगानेर, जयपुर।	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	अनिवार्य विषयों सहित स्नातक स्तर पर- कला संकाय- हिन्दी साहित्य, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास, लोकप्रशासन, समाजशास्त्र, अंग्रेजी साहित्य।

- संघटित विश्वविद्यालय एच बीसीआई0से संबद्धता प्राप्त करने का दायित्व स्वयं संस्था का होगा।
- संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यूजीसी अर्हताधारी प्राध्याप एवं व्याख्याताओं तथा निम्नलिखित मानदण्डानुसार अर्थव्ययिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
- राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
- संस्था को समूह-2 पर यूजीसी/राज्य सरकार/आयुक्तालय कालेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
- संस्था द्वारा राजस्थान और सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 से सभी उपबन्धों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी।
- संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का का भीतल्लधन करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया उ सकता है।
- संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्तालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन कर होगा।
- संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
- विधि महाविद्यालयों को बीसीआई के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
- संस्था प्रति वर्ष आयुक्तालय/राजकीय महाविद्यालय/विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से साख्यकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनाओं भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
- संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देगी।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्ट करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करे। इस डाटा के आधा पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपोर्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी।
- उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

PRINCIPAL
Vinayak College

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- विशेष सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, जयपुर।
- कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: स्फ4 (387)आकाशि/नि.स./2018/1913

दिनांक-16.7.18

आदेश

राजस्थान में सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा संसदीय नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति को अन्तर्गत सत्र 2018-19 से स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन संकाय/विषय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

संकाय संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	नवीन संकाय व विषय
कॉलेज शिक्षा, निजी, महाराज सागर, जयपुर	विनायक कॉलेज, बगरी, सागर, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	स्नातकोत्तर स्तर पर- एम.ए.-भूगोल (हिन्दी) साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान।

- संस्था प्रत्येक सत्र में निर्धारित अवधि में निम्नानुसार मध्य वार्षिक शुल्क आहरण करेगी।
- आवश्यकानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा महा विद्यालय अधिनियम उपलब्ध करायेगी।
- संस्था को समय-समय पर यूजीसी/राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
- संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विभिन्न महाविद्यालयों के प्रकरण में रीटर्न/आई० से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। राजस्थान की शिक्षा विभाग को प्रवेश दिया जाये।
- संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाया अनिवार्य होगा।
- संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण करवाया जाये अनिवार्य होगा।
- संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यूजीसी आदेशानुसार आचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति को साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
- राज्य सरकार संस्था को बर्तमान व भविष्य में दस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
- संस्था समय व विपत्तियों की अवधि में अद्यतन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को भुक्ति करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तथा संस्था सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
- राज्य सरकार की निजी महाविद्यालय नीति 2018-19 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
- संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनाएँ भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल www.aiche.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवार अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी हार्ड कॉपी आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा।

उपयुक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्यक्षरित कर लिया जायेगा।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- विशेष सहायक मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, जयपुर।
- कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।
- सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।

PRINCIPAL
Vinayak College
Bagru (Jodhpur) Raj.



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक: एफ4 (75)आकाशि/नि.सं./2011/38

दिनांक- 13/01/2021

आदेश

घटाला शिक्षा समिति, महला, जिला जयपुर द्वारा संचालित विनायक कॉलेज, बगरू, तह. सांगानेर, जयपुर का निजी महाविद्यालय नीति के बिन्दु संख्या 11 के तहत सत्र 2020-21 से महाविद्यालय का नाम विनायक कॉलेज, बगरू, तह. सांगानेर, जयपुर के स्थान पर विनायक पी.जी. कॉलेज, बगरू, तह. सांगानेर, जयपुर में परिवर्तन की अनुमति प्रदान की जाती है।

[Signature]

अध्यक्ष

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महादय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, जयपुर।
5. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
7. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. रजिस्ट्रार पत्रावली।

[Signature]

संयुक्त-निदेशक (नि.सं.)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर